



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276916
CG-DL-E-07102026-276916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 313]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2026

फा.सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023.— एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. एफ. 16(1)-पी.डी./75 तारीख 30 जून, 1975 में घोषित गैर-सरकारी भविष्य, अधिवर्षिता और उपदान निधियों के लिए विशेष जमा योजना के अंतर्गत जमा करायी गई राशियों पर 1 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) ब्याज लगेगा। यह दर 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी।

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2026

F. No. 5(3)-B(PD)/2023.— It is hereby notified that the deposits made under the Special Deposit Scheme for Non-Government Provident, Superannuation and Gratuity Funds, announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No.F.16(1)-PD/75 dated 30th June, 1975, shall with effect from 1st October, 2026 to 31st December, 2026 bear interest at 7.1% (Seven point one percent). This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2026.

VYASAN R., Jt. Secy.